

बिहार सरकार
वित्त विभाग।

प्रेषक,

रचना पाटिल, भा०प्र०से०
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22-09-2025

विषय :-

सेवा/संवर्ग नियमावली प्रारूप की समीक्षा/अनुशंसा हेतु प्राधिकृत समिति के समक्ष
उपस्थापन के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्याधीन सेवाओं/संवर्गों के लिए नियमावली गठित किये जाने संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा एवं अनुशंसा प्राधिकृत समिति द्वारा की जाती है।

2. उल्लेखनीय है कि पूर्व से वित्त विभागीय पत्रांक-10068, दिनांक-28.10.2022 द्वारा राज्याधीन किसी सेवा/संवर्ग नियमावली गठन संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा एवं अनुशंसा हेतु प्राधिकृत समिति के समक्ष उपस्थापन के पूर्व प्रस्तावित पदसोपान एवं अन्य बिन्दुओं पर सर्वप्रथम वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत है।

3. समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित बिन्दु परिलक्षित हुए हैं :-

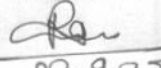
(i) सेवा/संवर्ग नियमावली पर वित्त विभागीय परामर्श/सहमति प्राप्त करने के उपरान्त संशोधित एवं भिन्न प्रस्ताव प्राधिकृत समिति के समक्ष लाया जाता है।

(ii) प्रशासी विभाग द्वारा सेवा/संवर्ग नियमावली परिचालन के माध्यम से भी प्राधिकृत समिति के समक्ष लाया जाता है, ऐसे कतिपय मामलों में उक्त वित्त विभागीय पत्र के आलोक में नियमावली प्रारूप पर वित्त विभागीय सहमति प्राप्त नहीं होती है।

4. वर्णित स्थिति में प्रशासी विभाग के नियमावली संबंधी प्रस्तावों की सम्यक् समीक्षा कर वित्त विभागीय सहमति/अनुशंसा अंकित किये जाने में कठिनाई होती है।

5. अतएव, अनुरोध है कि राज्याधीन सेवाओं/संवर्गों के लिए नियमावली गठित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को प्राधिकृत समिति के समक्ष उपस्थापन (परिचालन सहित) के पूर्व विभागीय अभिमत सहित संचिका के माध्यम से अनिवार्य रूप से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाय। सेवा/संवर्ग नियमावली पर वित्त विभागीय सहमति/परामर्श के पश्चात् यदि प्रशासी विभाग के स्तर से उसमें कोई संशोधन किया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में पुनः वित्त विभागीय सहमति/परामर्श प्राप्त की जानी चाहिए।

विश्वासभाजन


22.9.25

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।